रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 722] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938
No. 722] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/CHAITRA 2, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(भेषज विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

का.आ. 1192(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भेषज विभाग द्वारा जारी औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1221(अ) तारीख 15 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 में पैरा 11, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(3) उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे इंजेक्शनों या अंत:श्वसन और अन्य औषधियों की दशा में, जिनके लिए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 की अनुसूची 1 में मात्रा या खुराक या दोनों विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, सरकार, भारतीय भेषज या अन्य मानकों को, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन समान विनिर्मितियों के लिए अन्य मानकों के अनुरूप हैं, यथास्थिति, यूनिट मात्रा में तरल, गैसीय या किसी अन्य प्ररूप में पैकेजिंग या पैक आकार या मात्रा अनुपालना पर विचार करते हुए विनिर्दिष्ट चिकित्सीय विवेक को ध्यान में रखते हुए, ऐसी विनिर्मितियों के लिए पृथक् अधिकतम कीमत या खुदरा मूल्य को नियत और अधिसूचित कर सकेगी।

(4) सरकार इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर अनुसूचित विनिर्मितियों की पृथक अधिकतम कीमत या पूर्वोक्त मानदंडों के अनुसार नई औषधियों की खुदरा कीमत नियत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाएगी, जैसा कि वह उचित समझे ।"

[फा.सं. 31011/2/2015-पीआई-2]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

ORDER

New Delhi, the 22nd March 2016

S.O. 1192(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments in the Drugs (Prices Control) Order, 2013 issued by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1221(E), dated 15th May, 2013, namely :-

In the Drugs (Prices Control) Order, 2013 in Paragraph-11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely :-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2), in the case of injections or inhalation or any other medicine for which dosage form or strength or both are not specified in the Schedule-I of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, the Government may fix and notify separate ceiling price or retail price for such formulations with specific therapeutic rationale, considering the type of packaging or pack size or dosage compliance or content in the pack namely liquid, gaseous or any other form, in the unit dosage as the case may be, conforming to Indian Pharmacopeia or other standards as specified in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the rules made thereunder for the same formulation.

(4) The Government shall form a Committee of Experts, as it may deem fit, within a period of fifteen days from the date of issue of this order, to recommend fixing of separate ceiling price of scheduled formulations or retail price of a new drug as per the above parameters".

[F. No. 31011/2/2015-PI-II]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.